रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 1990/भाद्र 20, 1912
No. 392] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 1990/BHADRA 20, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1990

सा.का.नि. 773(अ) :—महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार ऐसे, सभी व्यक्तियों की जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऐसे किसी आक्षेप या सुझाव पर, जो पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगें, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1990 है ।

2. महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1981 की प्रस्तावना में, "अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए," शब्दों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"और महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1964, मार्मुगाओ पत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1964, पारादीप पत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1967, कलकत्ता पत्तन का न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1975, मुम्बई पत्तन का न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1975, मद्रास पत्तन का न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1975, तूतीकोरिन पत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1975, और नवमंगलौर पत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1980 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है।"।

[फा. सं. पी. आर.-16014/2/89-पी जी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1990

G.S.R. 773(E).—The following draft of certain rules further to amend he Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981, which the Central Government propose to make, in exercise of the powers conferred by ub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), s hereby published as required by sub-section (2) of the said section, for the nformation of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby iven that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry f a period of forty-five days from the date of publication of this notification n the Official Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with espect to the said draft within a period of forty-five days as specified above, vill be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Amendment Rules, 1990.

2. In the preamble to the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981, after the words, figures "Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act", the following shall be inserted, namely :—

"and in supersession of the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1964, the Mormugao Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules, 1964, the Paradip Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules, 1967, the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975, the Board of Trustees of the Port of Bombay (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975, the Board of Trustees of the Port of Madras (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975, the Tuticorin Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975, and the New

Mangalore Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules, 1980, except as respects things done or omitted to be done before such supersession.".

[F. No. PR-16014|2|89-PG

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

FOOT NOTE :—The Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules 1981 were published vide G.S.R. No. 725, dated the 13th July, 1981 and subsequently amended vide G.S.R. No 819(E) dated 28th July, 1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990.